

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

क्रमांक

C/4060

आदेश

दो-13-48/2018

जबलपुर, दिनांक 04/08/2019

श्री भीकम सिंह, भृत्य नया पदनाम कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर को रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक ए/500, जबलपुर दिनांक 12.02.2019 द्वारा प्रदत्त आरोप पत्र के संबंध में प्रस्तुत लिखित प्रतिवाद दिनांक 23.02.2019 में समस्त आरोपों को स्वीकार करने तथा रजिस्ट्री कारण बताओ नोटिस क. ए/1003, जबलपुर दिनांक 15.04.2019 के संबंध में प्रस्तुत जवाब दिनांक 02.05.2019 स्वीकार योग्य न पाये जाने के फलस्वरूप आपको उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश सेवा (भर्ती, सेवा की सामान्य शर्तें, आचरण, वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 2017 के नियम 16(1) एवं 22 सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(एक) के अंतर्गत लघुशास्ति "परिनिंदा" (Censure) के दंड से दंडित किया जाता है।


(राजेंद्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर, दिनांक 04/08/2019

पृष्ठांकन क्रमांक C/4061
प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर ग्वालियर म.प्र.,
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/आई.एल./न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
3. एस.पी.एस.ए आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
4. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (ई.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. अनुभाग अधिकारी स्था., उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
9. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
10. ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. श्री भीकम सिंह, भृत्य नया पदनाम कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, म.प्र.
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(श्याम बिहारी वामी)
रजिस्ट्रार (इंस्पेक्शन)

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/4068 /
दो-14-9/83 बैंच

जबलपुर, दिनांक 04/08/2019⁰⁹

कुमारी जागृति गुप्ता, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को "राजेन्द्र प्रसाद प्राइवेट आईटीआई कॉलेज, मुरैना से एनसीवीटी के माध्यम से हिन्दी स्टेनो की परीक्षा-2018-19" में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल
फिर

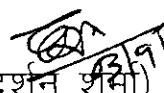
पृष्ठांकन क्रमांक C/4069 /
दो-14-9/83 बैंच

जबलपुर, दिनांक 04/08/2019⁰⁹

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर ज्ञापन क्रमांक 4050/34/स्था. ग्वालियर, दिनांक 18.07.2019 के संदर्भ में।
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.) / कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
4. ज्वाईंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. कुमारी जागृति गुप्ता, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
फिर